बिहार सरकार
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग)
कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार
(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ मार्ग, पटना–800 014

संख्या– FC/11/2021- 892

प्रेषक,

नन्द कुमार मांझी,
उप वन संरक्षक।

सेवा में,

श्री प्रभुनाथ दास,
पिता–श्री माहो रविदास,
ग्राम–दीनारी, पोस्ट–टीहीया, थाना–खैरा,
जिला–जमुई, पिन–811305

पटना 14, दिनांक– 21/12/2023

विषय– श्री प्रभुनाथ दास द्वारा जमुई जिलान्तर्गत महुँगाय मौज के खाता संख्या–16, 58, प्लॉट संख्या–1996, 1997, थाना–सोनो में NH-333 सोनो–चकाई पथ के किनारे BPCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने के क्रम में पहुँच पथ निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.03975 हे. वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।

प्रसंग– पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची का पत्रांक पत्रांक FP/BR/Others/ 120183/2021/1604, दिनांक 10.11.2023 (छायाप्रति संलग्न)

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची के पत्रांक FP/BR/Others/120183/2021/1604, दिनांक 10.11.2023 द्वारा विषयक प्रस्ताव पर क्षतिपूरक वनरोपण मद में 100 पौधों के रोपण (10 वर्षों के सम्पोषण के साथ) का शर्त्त अधिरोपित की गयी है।

2. प्रसंगाधीन पत्र में अधिरोपित शर्त्त के आलोक में हरितावरण को बनाये रखने के लिए क्षतिपूरक वनरोपण मद में 100 पौधों के रोपण का दस वर्षीय प्राक्कलन, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार के कार्यालय आदेश संख्या–03, दिनांक 01.11.2017 द्वारा निर्धारित मानक दर एवं अद्यतन मजदूरी दर (रू. 395/प्रति मा.दि.) के आधार पर रू. 8,74,538/– (आठ लाख चौहत्तर हजार पाँच सौ अड़तीस रूपये) मात्र की राशि को प्रयोक्ता एजेंसी पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार को उपलब्ध कराएगी।

उक्त राशि का आकलन वर्तमान मजदूरी दर रू. 395 प्रति मानव दिवस पर किया गया है। श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार द्वारा समय–समय पर मजदूरी दर में किये जाने वाले वृद्धि के फलस्वरूप क्षतिपूरक वनरोपण मद की राशि संभावित वृद्धि के साथ भुगतेय होगा।

3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची का पत्रांक पत्रांक FP/BR/Others/120183/2021/520, दिनांक 31.08.2023 के भाग संख्या–A के कंडिका संख्या–2 के आलोक में परियोजना निर्माण में अपयोजित होने वाली वन भूमि 0.03975 हेक्टेयर के लिए NPV की राशि रू. 9,57,780/– प्रति हेक्टेयर की दर से कुल रू० 38,072/– (अड़तीस हजार बहत्तर रूपये मात्र) को प्रयोक्ता एजेन्सी विभाग को उपलब्ध कराएगी।

4. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उपर्युक्त कंडिका 2 एवं 3 की राशि रू. 8,74,538.00 (+) रू. 38,072.00 अर्थात कुल रू. 9,12,610.00 (नौ लाख बारह हजार छः सौ दस रूपये) मात्र को विभागीय वेवसाईट parivesh.nic.in से सर्वप्रथम e-challan Generate करने के उपरांत Download किया जायेगा तथा संबंधित बैंक खाता में राशि हस्तान्तरित किया जायेगा।

5. राशि हस्तान्तरित करने के उपरांत प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा इस कार्यालय को UTR No. एवं दिनांक के साथ मूलप्रति उपलब्ध करायी जायेगी।

उपर्युक्त के अतिरिक्त प्रसंगाधीन पत्र एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची का पत्रांक पत्रांक FP/BR/Others/120183/2021/520, दिनांक 31.08.2023 द्वारा अधिरोपित शर्त्तों का अनुपालन प्रतिवेदन इस कार्यालय को समर्पित करेंगे, ताकि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय के राँची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय से विषयाधीन मामले पर अन्तिम स्वीकृति (Stage- II Clearance) प्राप्त करने की कार्रवाई की जा सके।

अनु०—यथोक्त।

विश्वासभाजन,

(हस्ताक्षर) 21.12.23

(नन्द कुमार मांझी)
उप वन संरक्षक।

ज्ञापांक FC- 892 दिनांक 21/12/2023

प्रतिलिपि : वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमुई वन प्रमंडल, जमुई को प्रासंगिक पत्र की प्रति के साथ सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि हरितावरण को बनाये रखने के लिए क्षतिपूरक वनरोपण मद में 100 पौधों के रोपण का दस वर्षीय प्राक्कलन, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार के कार्यालय आदेश संख्या—03, दिनांक 01.11.2017 द्वारा निर्धारित मानक दर एवं अद्यतन मजदूरी दर (रू. 395 / प्रति मा.दि.) के आधार पर प्रयोक्ता एजेंसी एवं इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाय।

अनु०—यथोक्त।

(हस्ताक्षर) 21.12.23

(नन्द कुमार मांझी)
उप वन संरक्षक।

ज्ञापांक FC- 892 दिनांक 21/12/2023

प्रतिलिपि : वन संरक्षक, भागलपुर अंचल, भागलपुर को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 21.12.23

(नन्द कुमार मांझी)
उप वन संरक्षक।

Email-apccfcampa.bih@gmail.com; मो० 8986153125